कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की परियोजना एवं सैफई हवाई पट्टी पर नाइट लैण्डिंग की सुविधा के विकास की परियोजना हेतु दिनांक 10.07.2015 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के समक्ष राइट्स लिमिटेड द्वारा दिये गये पॉवर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेशन का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः

1. श्री अनूप पाण्डेय, प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन।
2. श्री राकेश कुमार ओझा, आयुक्त, गोरखपुर मण्डल।
3. श्री देवेन्द्र स्वरूप, निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0।
4. श्री नितिन बंसल, जिलाधिकारी, इटावा।
5. श्री के0एन0 सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर।
6. श्री योगेश कुमार, समूह महाप्रबन्धक, राइट्स लिमिटेड।
7. श्री अनिल गुप्ता, महाप्रबन्धक (बिजनेस डेवलपमेन्ट), भा0वि0प्रा0।
8. श्री एस0सी0 होता, निदेशक विमानपत्तन, लखनऊ एयरपोर्ट।
9. श्री आर0के0 गोयल, प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम, उ0प्र0।
10. श्री ए0के0 श्रीवास्तव, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0।
11. श्री ए0ए0 खटाना, महाप्रबन्धक (वित्त), भा0वि0प्रा0।
12. श्री के0के0 अस्थाना, चीफ आर्किटेक्ट, राजकीय निर्माण निगम, उ0प्र0।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित अधिकारियों के सामान्य परिचयोपरान्त निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा मुख्य सचिव के संज्ञान में यह लाया गया कि मा0 मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 19.5.2015 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में शासनादेश संख्या-38/2015-819/छप्पन- 2015-42/2008, दिनांक 21.5.2015 द्वारा राइट्स लिमिटेड को कुशीनगर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। तदोपरान्त मुख्य सचिव महोदय की अनुमति से राइट्स लिमिटेड के अधिकारियों श्री वाई0के0 शर्मा और श्री अनिल आसवानी द्वारा कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की परियोजना से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर पॉवर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया। पॉवर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेशन के दौरान जनपद कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की आवश्यकता, परियोजना से संबंधित पैरामीटर्स, एयरपोर्ट निर्माण/विस्तार हेतु चिन्हित राजकीय हवाई पट्टी कसया पर वर्तमान में उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं, चिन्हित स्थल की अवस्थिति, एयरपोर्ट के विकास हेतु प्रस्तावित योजना, निर्मित/विकसित किये जाने वाले एयरपोर्ट के भविष्य में यथावश्यकता विस्तार की क्षमता, एयरपोर्ट के लिए Bulk load requirement सोलर पार्क और इस पर आने वाले व्यय भार, विकसित होने पर एयरपोर्ट के संचालन और अनुरक्षण पर आने वाले व्यय भार आदि बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- पॉवर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेशन में बताया गया कि प्रश्नगत एयरपोर्ट के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं -

A- Runway- 3200 X 45 m (Flexible)

B- Shoulders- 7-5 m wide

C- Turning pad- 62 X 75 m

D- Runway Strip- Length of runway strip 60 m beyond the end of runway, width of strip 300 m (extend laterally 150 m on either side of the centre line of the runway)

E- RESA - 90 X90 m on both end of the runway

F- Taxiway- Two taxiways joining the runway with Apron

length - 258 m

width - 23 m with shoulders 7.5 m on either side

G- Apron - 141.5 x 215 m with shoulders of 7.5 m are proposed for parking of 04 Nos. - B 737 Aircrafts

H- Isolation bay - 100 x 100 m with 100 mts clearance all around the bay.

I- Runway edge lighting

J- Simple approach lighting at both ends

K- Wind direction indicator - One illuminated WDI shall be provided

L- Aerodrome Beacon - An aerodrome beacon as per standard specification shall be provided.

M- Turminal Building of size 120 m x 60 m (PHP- 150+150)

N- ATC - Control Tower of size 30 x 40 mts, with height of 30 m proposed at the site.

O- Fire Station - Size 40 X 20 m, Sub-station 630 sqm, Guard room, Police Station, Pump house, UG Tank.

P- Car parking - 96 m x 100 m has planed for private cars, taxies & buses for 300 cars.

Q- Approach Road, peripheral road, internal roads, road for villagers

R- Dismantling of 2.25 m wide existing bituminous shoulders of runway & dismantling of existing boundry wall.

----3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त निर्माण कार्यों पर होने वाले अनुमानित व्यय का ब्योरा निम्नवत प्रस्तुत किया गयाः-

S.No.	DETAILS/DESCRIPTION OF SUB HEADS	AMOUNTS (Rs.)
1.	Sub Head I- Construction of Pavements (Runway, Turning Pads, Overruns, Taxiway, Apron, Isolation Bay and Roads)	1,43,90,52,654.00
2.	Sub Head II- Construction of New Boundary wall, RCC culvert, drain & dismantling of existing boundary wall and existing bituminous shoulder	18,73,84,515.00
3.	Sub Head III - Construction of ATC Tower, Fire Station, Sub Station, Guard Room, Pump House and U.G. Tank	8,85,13,283.00
4.	Electrical works- Runway lighting, simple approach lighting, Localiser and DME	8,12,00,485.00
5.	Terminal Building and Police Station (Area - 7200 sqm)	72,16,15,748.00
	Total	2,48,77,66,686.08
	Add Contigencies - 2%	4,97,55,333.72
	Total	2,56,75,22,019.80
	Add 4% towards Works Tax levied by State Govt. of Uttar Pradesh	10,27,00,881.00
	Add 1% towards Labour Welface Cess levied by Central Govt.	2,56,75,220.20
	Total	2,69,58,98,121.00
	Add 11% Consultancy	29,65,48,793.29
	Add 14% Service Tax & Cess on Consultancy	4,15,16,831.06
	GRAND TOTAL	**3,03,39,63,745.14**
Additional cost of 2MW solar power plant is Rs. 13 Cr.		
Cost reduction is possible by modifying specifications of Terminal Building, reduction in length of villager's road/peripheral road = Rs. 20 Cr.		

4- निर्माणोपरान्त प्रतिवर्ष एयरपोर्ट के संचालन और अनुरक्षण पर सम्भावित आवर्तक व्यय पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि कार्मिकों के वेतन/भत्तों पर प्रतिवर्ष रु0 6.06 करोड़, कार्मिकों के पेन्शन आदि अन्य मदों पर प्रतिवर्ष रु0 2.80 करोड़, मरम्मत और

---4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुरक्षण पर प्रतिवर्ष रु0 1.79 करोड़, भण्डार/जलापूर्ति/विद्युत आदि मदों पर प्रतिवर्ष रु0 1.29 करोड़, इन्श्योरेन्स/विविध/सी0आई0एस0एफ0 आदि मदों पर प्रतिवर्ष रु0 10.75 करोड़, इस प्रकार रु0 22.79 करोड़ का व्यय एयरपोर्ट के प्रतिवर्ष संचालन और अनुरक्षण पर अनुमानित है।

5- उक्त पॉवर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेशन के उपरान्त जनपद इटावा स्थित राजकीय हवाई पट्टी सैफई पर नाईट लैण्डिंग हेतु अतिरिक्त आधारभूत संरचना की स्थापना के सम्बन्ध में पावर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया। सैफई हवाई पट्टी पर वायुयानों की नाईट लैण्डिंग की सुविधा हेतु **यहों** कतिपय अतिरिक्त उपकरणों की स्थापना आवश्यक होगी। इस सम्बन्ध में उन्होंने कार्यक्षमता और गुणवत्ता में अन्तर के आधार पर निम्नलिखित दो विकल्पों का सुझाव दियाः-

OPTION I :- Localizer with Low Power DME

- Easy to maintain & operate.
- Requires very low power (approx 20W) only.
- Approximate cost of the system is Rs. 2.5 Cr (turnkey cost)

OPTION II :- D-VOR with High Power DME

- D-VOR is placed 130m away from runway center line having obstacle limiting zone of 5m in a radius of 305m.
- Approximate cost of the system is Rs. 7.00 Cr (turnkey cost)

विचार-विमर्श के उपरान्त यह पाया गया कि आवश्यकता के आधार पर सैफई हवाई पट्टी के लिए प्रथम विकल्प (Localizer with Low Power DME) पर्याप्त रूप से सक्षम है। तद्नुसार आवश्यक व्यवस्थायें राजकीय हवाई पट्टी, सैफई में विकसित किये जाने की संस्तुति की गयी।

6- इसके उपरान्त कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की परियोजना के अधीन टर्मिनल बिल्डिंग की स्थापना के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की शासकीय निर्माण इकाई राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा पावर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेशन किया गया।

7- उक्त पावर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेशन के सम्बन्ध में समुचित विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि कार्यदायी संस्था राइट्स लिमिटेड द्वारा टर्मिनल बिल्डिंग को छोड़ते हुए शेष कार्यों के सम्बन्ध में डी0पी0आर0/आगणन गठित करते हुए निदेशक, नागरिक उड्डयन

----5

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

को उपलब्ध कराया जाए। निदेशक, नागरिक उड्डयन उक्त डी0पी0आर0/आगणन के परीक्षणोपरान्त अपनी टिप्पणी/संस्तुति के साथ प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध करायेंगे। यह भी निश्चित हुआ कि टर्मिनल बिल्डिंग के सम्बन्ध में राजकीय निर्माण निगम द्वारा भी आगणन उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त यथानियम/यथाप्रक्रिया परीक्षण के उपरान्त टर्मिनल बिल्डिंग के आगणन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 62/2015/1110/छप्पन-2015-42/2008
लखनऊ: दिनांक: 29 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 शासन।
3- सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 शासन।
4- जिलाधिकारी, कुशीनगर/इटावा।
5- बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
6- गार्ड फाइल।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।